



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को थाना बबेरू पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना बबेरू पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 16.10.2026 को थाना बबेरू पुलिस को गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति ग्राम पड़री की तरफ से सिमौनी की अवैध तमंचा लिए घूम रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुए। पुलिस द्वारा बरामद अवैध तमंचा एवं कारतूस को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके संबंध में थाना बबेरू पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 32 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विमलकान्त उर्फ पप्पु पुत्र मतगंजन प्रसाद निवासी ग्राम पड़री थाना बबेरू जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 339/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरू जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

- मु0अ0सं0- 67/24 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना बबेरू जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 447/25 धारा 85/115(2)351(3)/352 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना बबेरू जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रमेश कुमार
2. उ0नि0 श्री छविनाथ मिश्रा
3. कां0 आदित्य अवस्थी
4. कां0 विमल सिंह
5. कां0 विशाल यादव